संवेदीकरण • रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सारण में कार्यशाला आयोजित

रियल एस्टेट में पारदर्शिता व खरीदारों के हितों की सुरक्षा जरूरी : रेरा अध्यक्ष

सिटी रिपोर्टर | छपरा

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने सारण प्रमंडल के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें जिला और नगर प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम, 2016 को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। यह बातें उन्होंने रेरा बिहार द्वारा आयोजित संवेदीकरण-सह-अभिमुखी करण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कहीं। रेरा अधिनियम का उद्देश्य फ्लैट और भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और नगर निकायों से कहा कि वे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी नियमित रूप से रिपोर्ट भेजें, ताकि प्राधिकरण को अनियमित परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।

प्रमोटर्स के लिए विशेष सत्र

कार्यशाला के दूसरे सत्र में निबंधित परियोजनाओं के प्रमोटरों को उनके दायित्वों और रेरा बिहार की नई विनियमावली के बारे में बताया गया। प्रमोटरों के सवालों के समाधान के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।

बैठक में शामिल रेरा के अध्यक्ष विवेक सिंह व जिलाधिकारी अमन समीर तथा अन्य अधिकारी

अधिनियम की अनुपालन पर जोर

कार्यशाला में रेरा बिहार की टीम ने एक पावरपॉइंट प्रस्तुति के जरिए अधिनियम के प्रावधानों, संशोधित बिहार भवन उपनियम 2014, और जिला प्रशासन की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और अनियमित परियोजनाओं के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की जानकारी दी गई।

परियोजनाओं की पहचान के लिए ड्रोन सर्वेक्षण का दिया गया सुझाव

रेरा बिहार ने एक नया प्रपत्र तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके जरिए नगर निकायों, आयोजन क्षेत्रों और निबंधन विभाग से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। सारण के आयुक्त गोपाल मीना ने सुझाव दिया कि बिल्डरों द्वारा पार्किंग स्थलों की जानकारी खरीदारों को दी जानी चाहिए। सारण के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने अनिबंधित परियोजनाओं की पहचान के लिए ड्रोन सर्वेक्षण का सुझाव दिया। सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने रेरा के प्रोजेक्ट रैंकिंग सिस्टम की प्रशंसा की और इसे उपयोगी बताया। गोपालगंज के डीएम सीएच प्रशांत कुमार ने जागरूकता सामग्री को जिले के स्तर पर प्रसारित करने का सुझाव दिया और अंचलाधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपस्थित प्रतिभागी और अधिकारी

कार्यशाला में सारण, सिवान और गोपालगंज के 24 नगर निकायों के अधिकारी, सारण के उप विकास आयुक्त यतींद्र कुमार पाल, सोनपुर के एसडीओ श्री आशीष कुमार और छपरा नगर निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार, ओएसडी राजेश थदानी और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार वेदप्रकाश भी मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रेरा बिहार की इस पहल को प्रतिभागियों ने सकारात्मक और उपयोगी बताया।